025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थीगण द्वारा बहस समाहित की जा चुकी है। वकील अप्रार्थीगण की मुख्य बहस यह रही कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि आज के रोज हमराह पटवारी के साथ मौके पर पंहुचा, मौकानुसार वर्तमान मे उक्त रकबा पर अकृषि कार्य नहीं हो रहा है, रकबा मौके पर खाली है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के साथ फोटो ग्राफ्स पेश किये गये हैं जिसमे मौका पर किसी प्रकार की कोई कॉलोनी नहीं काटी गई है व मौका पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। मौका पर उक्त भूमि कृषि भूमि हेतु उपयोग में ली जा रही है जिसके सम्बन्ध में मौका पर लिए गये फोटो ग्राफ्स संलग्न है। प्रार्थी की भूमि पर धारा 177 आर.टी.ए. एवं स्थगन होने प्रार्थी राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध गलत तरीके धारा 177 आर.टी.ए. पेश किया गया । अतः प्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, मौका के फोटोग्राफ्स का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त अराजी पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner